रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264785 CG-DL-E-18072025-264785

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] No. 432] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2025/आषाढ़ 26, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2025/ASHADHA 26, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,16 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 475(अ).—पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 159 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित मसौदा नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जिन्हें इनसे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर, इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां आम लोगों को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अविध समाप्त होने के बाद, विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली- 110001 को या ipr-patents@gov.in पर ई-मेल द्वारा भेज दिए जाएं:

निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

4778 GI/2025 (1)

मसौदा नियम

- (1) पेटेंट नियम 2003 (इसके बाद इसे मूल नियम कहा गया है) में मूल नियम के नियम 107क को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात:—
- **"–** धारा 107क परिभाषाएं (1) इस अध्याय में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो,—
- (क) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" का आशय अधिनियम की धारा 124क के तहत अधिकृत अधिकारी से है;
- (ख) "अपीलकर्ता" का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है और अधिनियम की धारा 124ख की उप-धारा (1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करता है;
- (ग) "अपीलीय प्राधिकारी" का आशय अधिनियम की धारा 124ख की उपधारा(1) के तहत अधिकृत अधिकारी से है;
- (घ) इन नियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो नियम में परिभाषित नहीं है परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए निर्धारित है।"
- 2. मूल नियम में, नियम 107 ख को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- 107ख शिकायत (1) कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 120, 120 और 123 के तहत किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रपत्र-32 में शिकायत दर्ज करा सकता है।
- 3. मूल नियम में, नियम '107 ग' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- "-107ग जांच करना (1) अधिनियम की धारा 124क के तहत इस न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी व्यक्ति ने उक्त धारा में यथाविनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किया है, न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर (जो कि तामील की तारीख से सात दिन की अविध से कम न हो) कारण बताना अपेक्षित होगा कि उसके विरुद्ध जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।
- (2) उप-नियम (1) के तहत जारी प्रत्येक नोटिस में किए गए कथित उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।
- (3) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए या उसके द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत अपने वकील के माध्यम से नोटिस में यथानिर्धारित तारीख को उपस्थिति होने हेतु एक नोटिस जारी करेगा।
- (4) नियत तारीख को, न्यायनिर्णयन अधिकारी, जिसके विरूद्ध कार्यवाही शुरू की गई है उस व्यक्ति या उसके वकील को, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन और उस अधिनियम के उपबंधों, जिसके संबंध में उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, के बारे में स्पष्ट रूप से समझाएगा।
- (5) तत्पश्चात न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा, उस व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को किसी भावी तारीख तक स्थगित किया जा सकता है और ऐसे साक्ष्य लेने में न्यायनिर्णयन अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (2023 का 47) के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- (6) इस नियम के अधीन जांच करते समय न्यायनिर्णयन अधिकारी को, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता हो जिसे साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या संगत हो सकता है, तो वह उसे उपस्थित होने के लिए प्रवर्तित कर सकता है।
- (7) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के तहत यथाअपेक्षित रूप में न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इंकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद, जांच को आगे बढ़ा सकता है।

- (8) यदि, न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम के तहत, ऐसी शास्ति लगा सकता है जो वह उचित समझे।
- (9) इस नियम के तहत किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उन प्रावधानों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनके संबंध में उल्लंघन किया गया है और शास्ति लगाने के कारणों को शामिल किया जाएगा।
- (10) इस नियम के तहत किए गए प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होगी और न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (11) इस नियम के तहत किए गए आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां उस व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के दी जाएंगी, जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है।
- (12) न्यायनिर्णयन अधिकारी, उस पक्ष को जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी जारी नोटिस की अवधि के तीन महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही को पूरा करेगा।
- 4. मूल नियम में, नियम '107 घ' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- "-107घ अपील- (1) कोई भी व्यक्ति, जो इस नियम के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है, तो वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रपत्र-33 में अपील कर सकता है।
- बशर्ते कि, अपीलीय प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर कार्यवाही कर सकता है यदि, वह संतुष्ट है कि व्यक्ति के पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने के पर्याप्त कारण मौजूद थे।
- (2) अपील प्राप्त होने पर अपीलीय प्राधिकारी एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उत्तरदाता से यह अपेक्षा होगी कि वह उस अवधि के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करे जैसा कि नोटिस में निर्धारित किया गया हो।
- (3) अपीलीय प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, एक संगत आदेश पारित करेगा, जिसमें स्थगन के आदेश भी शामिल हैं, और सामान्य रूप से अपील की प्राप्ति की तारीख से छ: माह के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।
- 5. मूल नियम में, नियम '107ज' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- "-107ङ दोनों पक्षों को तामील (1) इस अध्याय के तहत सभी पत्राचार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाएंगे।
- (2) इस प्रकार के संप्रेषण को सिद्ध करने के लिए यह प्रदर्शित करना पर्याप्त होगा कि पत्राचार सही पते पर किया गया था और इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संप्रेषित किया गया था।
- 6. मूल नियम में, नियम '107झ' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- "-107च- समयावधि बढ़ाना न्यायनिर्णयन अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से, जहां विलंब या इस दिशा में कार्रवाई न करने के उचित कारण मौजूद हैं, इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी भी समयावधि को, लागत सहित या उसके बिना, तब तक बढ़ा सकता है जैसा कि वह उचित समझे।
- 7. मूल नियम में, नियम '107ठ' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- "-107छ आदेश और शास्ति (1) इस अध्याय के तहत प्रत्येक आदेश पर तारीख डाली जाएगी, उस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और सभी पक्षों को सूचित किया जाएगा तथा उसे आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- (2) इस अध्याय के तहत शास्ति के जरिए वसूल की गई समस्त राशि भारत की समेकित निधि में जमा की जाएगी।"
- 8. मूल नियम की दूसरी अनुसूची में,

- (क) प्रपत्र शीर्ष के तहत, "प्रपत्र सं 30" के बाद धारा 124क से संबंधित प्रपत्र 31 से संबंधित प्रविष्टियां और 124 ख से संबंधित प्रपत्र 32 को हटाया जाएगा।
- (ख) प्रपत्र शीर्ष के तहत, "धारा" 31 से संबंधित प्रपत्र संख्या 31" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा अर्थात:—

"-32	धारा 124क, नियम 107 ख	धारा 120, 122 और 123 से संबंधित उल्लंघन के मामले में
		शिकायत
33	धारा 124ख, नियम 107 घ	न्यायनिर्णय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील

- (ग) मूल नियम की दूसरी अनुसूची में, प्रपत्र 30 के बाद, 124 क से संबंधित प्रपत्र 31 और 124ख से संबंधित प्रपत्र 32 को हटाया जाएगा।
- (घ) मूल नियम की दूसरी अनुसूची में धारा 31 से संबंधित प्रपत्र 31 के बाद निम्नलिखित प्रपत्रों को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात:—

	• •			
"प्रपत्र 32				
	पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)			
	तथा पेटेंट नियम, 2003 धारा 120,122 और 123 के उल्लंघन या चूक के मामले में शिकायत			
	[धारा 124क, निय	म, 107 (ख) देखें]		
1.	शिकायतकर्ता का विवरण (अनिवार्य): -			
	क. नाम:			
	ख. तामील (सर्विस) के लिए पता:			
	ग. संपर्क सूत्र:			
	घ. ई-मेल (सर्विस के लिए):			
2.	शिकायत का विवरण: -			
	क. कथित उल्लंघन या चूक के होने की तिथि,			
	समय और घटना:			
	ख. सभी संगत तथा मुख्य विवरण प्रदान करते			
	हुए उल्लंघन या चूक का विवरण:			
	ग. विवरण के समर्थन में साक्ष्य:			
	घ. लागत विवरण के साथ क्षतिपूर्ति की			
	अनुमानित राशि (वित्तीय मामले में)			
मैं/ह	म, शिकायतकर्ता यह घोषणा करता हूं/करते हैं	हैं कि यहां उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी जानकारी सूचना और		
विश्वास के अनुसार सही हैं।				
3.	शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर		
4.	उस वास्तविक व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए			
	कं हैं.	()		
		सेवा में,		
		न्यायनिर्णयन अधिकारी		
		पेटेंट कार्यालय		
नोट	नोट - जो लागू न हो उसे काट दें।			

"प्रपत्र-33
,
पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)
पटट आधानयम् १९७० (१९७) का ३९)

	75.				
तथा पेटेंट नियम, 2003					
	न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील				
	[धारा 124ख, नियम 107घ देखें]				
1.	अपीलकर्ता का विवरण (अनिवार्य):-				
	क. नाम:				
	ख. तामील (सर्विस) के लिए पता:				
	ग. संपर्क सूत्र:				
	घ. ईमेल (सर्विस के लिए)				
2.	न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित उस आदेश का विवरण, जिसके विरुद्ध				
	अपील की गई है:-				
	क. मामला संख्या				
	ख. आदेश की तारीख				
	ग. विवरण के समर्थन में साक्ष्य				
ਸੈਂ/ਵ	म, अपीलकर्ता यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि यहां उल्लिखित	। तथ्य मेरी/इमारी जानकारी सचना और			
	ास के अनुसार सही हैं।				
3.	अपीलकर्ता के हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर			
4.	उस वास्तविक व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं:	(
•••	24 11/41 11 11/11/11/6/444/11/26	सेवा में,			
		्राचा न, अपीलीय प्राधिकारी,			
		पेटेंट कार्यालय.			
		च च च च च च च च च च च च च च च च च च च			
चोर	- जो लागू न हो उसे काट दें।				
नाट	- जा लागू म हा उस समट पा				

[फा.सं. पी-24031/13/2020-आईपीआर-III]

हिमानी पाण्डे, अपर सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 2 मई, 2003 की। अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 493(अ) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और इनमें पिछला संशोधन दिनांक 16 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 215 (अ) के माध्यम से किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2025

G.S.R. 475(E).—The following draft rules to further amend the Patents Rules, 2003 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 159 of the Patents Act, 1970, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Vanijya Bhawan, New Delhi- 110001 or by e-mail at ipr-patents@gov.in;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

- 1. In the Patent Rules 2003 (hereinafter referred to as the Principal Rule), Rule 107A of the principal rules, shall be substituted by the following namely:—
 - "—Section 107A. Definitions. In this Chapter, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "adjudicating officer" means an officer authorized under section 124A of the Act;
 - (b) "appellant" means a person aggrieved with an order of adjudicating officer and prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (1) of section 124B of the Act;
 - (c) "appellate authority" means an officer authorized under sub -section (1) of section 124 B of the Act:
 - (d) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the act."
- 2. In Principal Rule, Rule 107B, shall be substituted by the following namely:—
 - "—107 B. Complaint. (1) Any person may file a complaint in Form 32 through electronic means to the adjudicating officer regarding any contravention committed under sections 120, 122, and 123 of the Act."
- 3. In Principal Rule, Rule 107C, shall be substituted by the following namely:—
 - "—107 C. Holding of inquiry. (1) For the purpose of adjudication under section 124A of the Act as to whether any person has committed any contravention as specified in that section, the adjudicating officer shall, issue a notice through electronic means to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than seven days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.
 - (2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.
 - (3) After considering the cause, if any, shown by such person, if the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a legal practitioner duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.
 - (4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his legal practitioner, the contravention, committed by such person and the provisions of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.
 - (5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing maybe adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam 2023 (47 of 2023).
 - (6) While holding an inquiry under this rule the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.
 - (7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required by this rule before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
 - (8) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may, by order in writing, impose such penalty under the Act as he thinks fit.
 - (9) Every order made under this rule shall specify the provisions of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.
 - (10) Every order made under this rule shall be dated and signed by the adjudicating officer.
 - (11) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of charge to the person against whom the order is made.
 - (12) The adjudicating officer shall complete the proceedings within three months from the issuance of the notice to the party against whom the complaint was received."
- 4. In Principal Rule, Rule 107D, shall be substituted by the following namely:—
 - "—107 D. Appeal. (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under this rule, may prefer an appeal in Form 33 through electronic means to appellate authority, within sixty days from the date of order.

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the appeal within such period.

- 2) On receipt of the appeal, the appellate authority shall issue a notice requiring, the Respondent, to file reply within such period as may be specified in the notice.
- (3) The appellate authority shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, pass a reasoned order, including an order for adjournment, and complete the proceedings ordinarily within six months from the date of receipt of the appeal."
- 5. In Principal Rule, Rule 107H, shall be substituted by the following namely:—
 - "—107E. Serving upon parties. (1) All communications under this Chapter shall be transmitted through electronic means only.
 - (2) In proving such transmission, it shall be sufficient to show that the communication was properly addressed and transmitted through electronic means."
- 6. In Principal Rule, Rule 107I, shall be substituted by the following namely:—
 - "—107F. Extension of time. The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in this chapter till such period as may be deemed fit with or without costs."
- 7. In Principal Rule, Rule 107L, shall be substituted by the following namely:—
 - "—107G. Order and penalties. (1) Every order under this Chapter, shall be dated, digitally signed, communicated to all the parties, and also uploaded on the official website.
 - (2) All sums realized by way of penalties under this Chapter shall be credited to the Consolidated Fund of India."
- 8. In Principal Rule, in SECOND SCHEDULE,
- (a) under heading FORMS after "Form No.30", entries related to Form 31 which pertains to section 124A and Form 32 which pertains to 124B shall be omitted.
- (b) under heading FORMS after "Form No.31 which pertains to section 31" and the entries related thereto, following shall be inserted namely:—

٩	- 32	Section 124A, rule 107B	Complaint for contravention of sections 120, 122 and 123
	33	Section 124B, rule 107D	Appeal against an order of the adjudicating officer"

- (c) In Principal Rule, in SECOND SCHEDULE, after Form 30, Form 31 which pertains to section 124A and Form 32 which pertains to 124B, shall be omitted.
- (d) In Principal Rule, in SECOND SCHEDULE, after Form 31, which pertains to Section 31, following forms shall be inserted, namely:

"FORM 32 THE PATENTS ACT, 1970 (39 OF 1970) THE PATENTS RULES, 2003 COMPLAINT FOR CONTRAVENTION OR DEFAULT OF SECTIONS 120, 122 and 123 [See section 124A, rule 107(B)] 1. Particulars of Complainant (mandatory): a. Name: b. Address for service: c. Contact No.: d. Email (for service): 2.Of Complaint: a. Date, time, and instance of commission of the alleged contravention or default: b. Statement of contravention or default setting out all relevant material particulars: c. Evidence in support of the statement: d. Tentative amount of damage (in Monetary terms) with cost break up /We, the Complainant herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our

knowledge, information and belief.	
3.Signature of the Complainant:	Signature
4. Name of the natural person who has signed:	()
	To, The Adjudicating Officer, The Patent Office, at
NoteStrike out whichever is not applicable."	

"FORM 33	
THE PATENTS ACT,1970 (39 OF 1970)	
and	
THE PATENTS RULES, 2003	
APPEAL AGAINST AN ORDER PASSED BY THE ADJUDIC	ATINF OFFICER
[See section 124B, rule 107(D)]	
1. Particulars of Appellant (mandatory): -	
a. Name:	
b. Address for service:	
c. Contact No.:	
d. Email (for service):	
2.Particulars of Order passed by the adjudicating officer against which the appeal is preferred: -	
a. Case No:	
b. Date of Order:	
c. Evidence in support of the statement:	
I/We, the Appellant herein declare that the facts stated herein knowledge, information and belief.	are correct to the best of my/our
3.Signature of the Appellant:	Signature
4. Name of the natural person who has signed:	()
	To,
	The Appellate Authority, The
	Patent
	Office,
	at
NoteStrike out whichever is not applicable."	

[F. No. P-24031/13/2020-IPR-III] HIMANI PANDE, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and last amended vide notification number G.S.R. 215(E) dated the 16th March, 2024.